कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली /
Directorate (Medical) Delhi
5th व 6th तल, प्रशासन खंड, क.रा.बी. निगम
अस्पताल परिसर, बसईदारापुर, नई दिल्ली-15
5th & 6th Floor, Administrative Block, ESIC
Hospital Complex, Basaidarapur, N.D.-15
Email: dir-dmd.dl@esic.nic.in

सत्यमेव जयते

संख्या: डीएमए-50/11/02/2011-रा.भा. दिनांक: 24.01.2025

परिपत्र/Circular

विषय/Subject : "क.रा.बी. निगम इकाइयों में प्रचलित "कर्मचारी राज्य बीमा निगम-हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना" वर्ष 2024
"Karmchari Rajya Beema Nigam-Hindi Prayog Protsahan Yojna" year 2024 prevalent in ESIC units.

निगम में "कर्मचारी राज्य बीमा निगम-हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना" जनवरी, 1985 से लागू है जिसकी अवधि प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी से 31 दिसंबर तक होती है। इस योजना में 1200/- रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तदनुसार, निदेशालय (चिकित्सा), दिल्ली तथा अधीनस्थ औषधालय कार्यालयों/संबंद्ध कार्यालयों के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने वर्ष 2024 के दौरान निर्धारित प्रतिशतता ('क' क्षेत्र स्थित कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के लिए 100 प्रतिशत) में सरकारी कामकाज हिंदी में किया है, उनसे संलग्न प्रपत्र में प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं।

"Karmchari Rajya Beema Nigam-Hindi Prayog Protsahan Yojna" is in force in the Corporation since January, 1985 period of which is from 01 January to 31st December every year. A prize of Rs. 1200/- is awarded under this scheme. Accordingly, entries in the enclosed proforma are invited from the officers/employees of the Directorate (Medical), Delhi and Subordinate Dispensary Offices/ Attached Offices who have done official work in Hindi in the prescribed percentage during 2024 (100 % for the officials working in the offices situated in Region 'A').

प्रविष्टियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28.02.2025 है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।

Last date of submission of entries is 28.02.2025. Entries received after the last date will not be entertained. It is also clarified that the entries received in the prescribed proforma will only be entertained.

कृपया इस प्रोत्साहन/पुरस्कार योजना को सभी सहकर्मियों/अधीनस्थों के संज्ञान में लाएं एवं उन्हें इसमें प्रतिभागिता के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे राजभाषा हिंदी के प्रयोग/प्रसार में सक्रिय सहभागी बन सकें। यह भी अनुरोध है कि जो अधिकारी/कर्मचारी वर्ष 2025 के दौरान इस योजना में भाग लेना चाहते हैं वे उनके द्वारा निष्पादित कार्य का रिकॉर्ड रखें ताकि मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत किया जा सके।

Please bring this incentive/prize scheme to the notice of all the colleagues/subordinates and encourage them to participate in this so that they may become active participants in the usage/publicizing of the official language Hindi. The officers/employees who wish to participate in this scheme for the year 2025, are requested to keep the record of the work done by them so that it can be produced whenever asked for.

नोट/Note:

1. एक कार्यालय/शाखा/औषधालय से दूसरे कार्यालय/शाखा/औषधालय में स्थानान्तरित कर्मचारी कृपया उक्त कार्यालय/शाखा में तैनाती की अवधि के प्रपत्र (समयावधि सहित) को निदेशालय (चिकित्सा), दिल्ली के प्रपत्र (समयावधि सहित) या वर्तमान कार्यालय के प्रपत्र (समयावधि सहित) के साथ संलग्न करके वर्ष 2024 का पूरा रिकार्ड एक साथ प्रस्तुत करें अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा/Employees who have been transferred from one Office/Branch/ Dispensary to another Office/Branch/ Dispensary must please submit the complete record of the year 2023 simultaneously by attaching the proforma (along with duration) of the period of the posting in said office with the proforma (along with duration) of Directorate (Medical), Delhi, or the present office proforma (along with duration) otherwise their entries will not be entertained.
2. उक्त प्रतियोगिता/प्रोत्साहन योजना में वे एम.टी.एस भी भाग ले सकते हैं जो फाइलों पर टिप्पण/आलेखन का कार्य करते हैं तथा सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें फाइलें आबंटित की गई हैं। कृपया प्रतियोगिता/प्रोत्साहन योजना में भाग लेने वाले एम.टी.एस. संवर्ग के कार्मिक उनके द्वारा लिखे गए टिप्पण/आलेखन के 05 नमूने भी निर्धारित प्रपत्र के साथ नत्थी करें। एम.टी.एस. का प्रपत्र हस्ताक्षर करने से पहले सक्षम अधिकारी कृपया अपने स्तर पर संबंधित एम.टी.एस. द्वारा किए गए कार्य की पुष्टि कर लें/The multi tasking staff who have been allotted files by authorized officer and do noting and drafting work on files can also participate in this incentive/prize scheme. The employees of MTS cadre are

requested to attach 5 specimen copies of noting and drafting work done by them along with the prescribed proforma. Competent Officer should also verify the work done by them before signing the proforma of the MTS.

3. सभी अधिकारी /अधीक्षक एवं प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी अपने नियंत्रण अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर करवा कर ही अपना प्रपत्र प्रस्तुत करें अन्यथा उनके प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
All the Officers/ superintendent and in-charge Insurance Medical Officers must submit their proforma only after having counter - signature of their controlling officer, otherwise their proformas will not be entertained.
4. प्रतिहस्ताक्षरित प्रपत्र मूल रूप में राजभाषा शाखा को भिजवाए जाएं/ The countersigned proforms should be sent in original to the Official Language Branch.

संलग्न : निर्धारित प्रपत्र
Attachment: Prescribed Proforma

Signed by Ankur Sehrawat
Date: 27-01-2025 12:40:25

(अंकुर सेहरावत/Ankur Sehrawat)
शाखाधिकारी(रा.भा.)/Branch Officer (OL)

प्रतिलिपि/Copy To :-

1. महानिदेशक (राजभाषा), क॰रा॰बी॰ निगम, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली।
Director General (OL), ESI Corporation, Panchdeep Bhavan, CIG Marg/New Delhi.
2. प्रधान निजी सचिव, निदेशालय (चिकित्सा), दिल्ली/Principal Private Secretary, Directorate (Medical), Delhi.
3. सभी उप/सहायक निदेशक, निदेशालय (चिकित्सा), दिल्ली/ All Deputy/Assistant Director, Directorate (Medical), Delhi.
4. सभी शाखा अधीक्षक, सभी शाखाएं, निदेशालय (चिकित्सा), दिल्ली /All Branch Superintendents, All Branches, Directorate (Medical), Delhi.
5. सभी प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम औषधालय, अधीनस्थ निदेशालय (चिकित्सा),दिल्ली।
All in-charge Insurance Medical Officers, Employees' State Insurance Corporation Dispensaries under Director, Directorate (Medical), Delhi.
6. निदेशक, निदेशालय (परिवार कल्याण), दिल्ली/ Director, Directorate (Family Welfare), Delhi
7. प्रबंधक, केन्द्रीय भंडार, निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/Manager, Central Store, Directorate (Medical) Delhi
8. वेबसाइट प्रबंधक, निदेशालय (चिकित्सा), दिल्ली को वेबसाइट पर सामग्री अपलोड हेतु।
Website Manager, Directorate (Medical), Delhi to upload the matter on website.